रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275939
CG-DL-E-02092026-275939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

**सार्वजनिक सूचना**

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

**सं. 28 /2026-27**

**विषय: 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात के लिए टीआरक्यू स्कीम के अंतर्गत आवेदन और शेष मात्रा के आवंटन की कार्यरीति के संबंध में।**

**फ़ा. सं. 01/89/180/43/एएम-26/पीसी-2(ए)/ई-47338.**—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और टीआरक्यू चीनी के आवंटन के लिए गठित समिति की दिनांक 28.08.2026 की बैठक के कार्यवृत्त के शुद्धिपत्र अनुसरण में जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 और दिनांक 24.08.2026 (इसके बाद "उक्त सार्वजनिक सूचना") के शुद्धिपत्र के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है:

**ग्रहण करने की स्थिति**

**2.** 10,00,000 मीट्रिक टन कच्ची चीनी के प्रशुल्क दर कोटा के संबंध में अधिसूचना संख्या 31/2026-27 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा अधिसूचित, 7,97,450 मीट्रिक टन के आवेदन प्राप्त हुए और उक्त सार्वजनिक सूचना के क्रम में आवंटित किए गए, जैसा कि समिति की दिनांक 28.08.2026 के कार्यवृत्त में दर्ज है। टीआरक्यू स्कीम के तहत आवंटन के लिए **2,02,550 मीट्रिक टन** की शेष मात्रा उप लब्ध है।

**नए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:**

3. उक्त सार्वजनिक सूचना के तहत निर्धारित तरीके और प्रारूप में, पात्र मिलर्स और रिफाइनर्स से 2,02,550 मीट्रिक टन की शेष मात्रा के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन विंडो **इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 (सात) दिनों** की अवधि के लिए खुली रहेगी, जिसके दौरान आवेदन डीजीएफटी वेबसाइट (https://dgft.gov.in) → आयात प्रबंधन प्रणाली → टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

**आवंटन तंत्र:**

4. उक्त सार्वजनिक सूचना के तहत एक बार किए गए आवंटन से भिन्न, शेष मात्रा का आवंटन **दैनिक आधार पर** किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i. किसी भी दिन शाम 5:30 बजे तक प्राप्त सभी आवेदनों को उस दिन के लिए एक बैच माना जाएगा और अगले कार्य दिवस पर आवंटन के लिए उन पर एक साथ कार्रवाई की जाएगी जो संवीक्षा और पात्रता के अध्यधीन होगी।

ii. किसी भी दिन शाम 5:30 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों को अगले दिन के बैच के साथ ले जाया जाएगा और जोड़ा जाएगा।

iii. प्रत्येक दिन के बैच के संबंध में आवंटन, शेष कोटा की उपलब्धता के अध्यधीन, स्व-घोषणा के आधार पर, उस दिन की कुल मांग के क्रम में सख्ती से किया जाएगा।

**कोटा की समाप्ति पर आनुपातिक आवंटन:**

5. यदि किसी दिन के दौरान लागू संचयी मात्रा, पिछले दिन तक आवंटित मात्रा के साथ मिलाकर, उपलब्ध 2,02,550 मीट्रिक टन की शेष कोटा से अधिक हो जाती है, तो आवंटन उस बैच के सभी आवेदकों के बीच, प्रत्येक आवेदक द्वारा लागू मात्रा के अनुपात में, **आनुपातिक आधार** पर किया जाएगा।

6. बाद के दिनों में प्राप्त आवेदन, उस तारीख के बाद जिस पर पैरा 4 के अनुसार कोटा पूरी तरह से समाप्त/आवंटित हो गया है, **आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा**, और ऐसे आवेदकों को डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से तदनुसार सूचित किया जाएगा।

7. डीजीएफटी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई जमा करने की तिथि और टाइम स्टैम्प यह तय करने का आधार होगा कि आवेदन किस दिन से संबंधित है; कोई मैनुअल या ऑफ़लाइन प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा।

**अन्य शर्तें :**

8. सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 के तहत निर्धारित अन्य सभी निबंधन और शर्तें, दिनांक 24.08.2026 के शुद्धिपत्र द्वारा यथा संशोधित हैं, इस सार्वजनिक सूचना के तहत किए गए आवंटनों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी।

9. डीजीएफटी के पास विदेश व्यापार नीति और लागू कानून के अध्यधीन, इस सार्वजनिक सूचना के किसी भी प्रावधान को संशोधित, परिवर्तित, शिथिल करने या वापस लेने का अधिकार, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, सुरक्षित है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st September, 2026

**No. 28/2026-2027**

**SUBJECT: MODALITIES FOR APPLICATION AND ALLOCATION OF BALANCE QUANTITY UNDER TRQ SCHEME FOR IMPORT OF 10 LAKH MT OF RAW SUGAR– REG.**

**F. No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/ [E-47338.—**In continuation of Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026, and the Corrigendum dated 24.08.2026 thereto (hereinafter "the said Public Notice"), issued in exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, and pursuant to the Minutes of the Meeting dated 28.08.2026 of the Committee constituted for allocation of TRQ Sugar, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the following:

**STATUS OF UPTAKE:**

2. Against the Tariff Rate Quota of 10,00,000 MT of Raw Sugar notified vide Notification No. 31/2026-27 dated 20.08.2026, applications amounting to 7,97,450 MT were received and allocated pursuant to the said Public Notice, as recorded in the Minutes of the Committee dated 28.08.2026. A balance quantity of **2,02,550 MT** remains available for allocation under the TRQ Scheme.

**FRESH APPLICATIONS INVITED:**

3. Applications are hereby invited from eligible millers and refiners, in the manner and format prescribed under the said Public Notice, for allocation of the balance quantity of 2,02,550 MT. The application window shall remain open for a period of **7 (seven) days from the date of publication of this Public Notice**, during which applications may be submitted online through the DGFT website (https://dgft.gov.in) → Import Management System → Tariff Rate Quota (TRQ).

**ALLOCATION MECHANISM:**

4. Unlike the one-time allocation made under the said Public Notice, allocation of the balance quantity shall be made on a **daily basis**, as under:

i All applications received up to**5:30 PM** on a given day shall be treated as one batch for that day and processed together for allocation on the following working day, subject to scrutiny and eligibility

ii. Applications received after 5:30 PM on a given day shall be carried over and clubbed with the batch of the next day.

iii. Allocation against each day's batch shall be made strictly in the order of aggregate demand for that day, on a self-declaration basis, subject to availability of balance quota.

**PRO-RATA ALLOCATION ON EXHAUSTION OF QUOTA:**

5. In the event the cumulative quantity applied for during a day, taken together with quantity already allocated till the preceding day, exceeds the available balance quota of 2,02,550 MT, the allocation shall be made on a **pro-rata basis** among all applicants of that batch, in proportion to the quantity applied for by each such applicant.

6. Applications received on subsequent days, after the date on which the quota stands fully exhausted/allocated in terms of para 4 above, **shall not be considered** for allocation, and such applicants shall be informed accordingly through the DGFT portal.

7. The date and time stamp of submission, as recorded on the DGFT online portal, shall be the basis for determining the day to which an application belongs; no manual or offline submission shall be considered.

**OTHER CONDITIONS:**

8. All other terms and conditions prescribed under Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026, as amended by the Corrigendum dated 24.08.2026, shall continue to apply mutatis mutandis to allocations made under this Public Notice.

9. DGFT reserves the right to amend, modify, relax or withdraw any provision of this Public Notice, as may be considered necessary, subject to the Foreign Trade Policy and applicable law.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.09.02 19:53:27 +05'30'